PROF. ARUN KUMAR SRIVASTAVA
(HOD POL. SCIENCE)
VISTHAPIT COLLEGE, BALIDIH

UG SEMESTER-6

POL. SCIENCE DSE-3(B)

(POLITICAL PARTY IN INDIA)

DATE:21/04/2020

SIXTH SEMESTER

PAPER 6-1	SUBJECT CODE **Pol. Sc.-Core 13**	**CONTEMPORARY POLITICAL THEORY** COURSE CONTENT	TEACHING HOURS 90 Credit Hours	NO OF CREDI 05+01
01.	Behavioralism and Post Behavioralism			
02.	Debate about the decline of Political Theory.			
03.	Nature and Revival of Political Theory.			
04.	Debate about the end of Ideology and its impact on Political Theory.			
05.	Theories of Democracy: Liberal, Elitist, Pluralist and Marxist.			
06.	Theory of Citizenship			
07.	Recent trends in Political Theory.			
08.	Theories of Political and Social Change.			

SIXTH SEMESTER

PAPER 6-2	SUBJECT CODE **Pol. Sc.- Core - 14**	**COMPARATIVE POLITICAL ANALYSIS** COURSE CONTENT	TEACHING HOURS 90 Credit Hours	NO OF CREDI 05+01
01.	Constitution and Constitutionalism.			
02.	Separation of Power: Theory and Practice			
03.	Political Party and Party systems- Britain, USA, France, Switzerland and China.			
04.	Interest Group - Britain, USA, France, Switzerland and China.			
05.	Pressure Groups- Britain, USA, France, Switzerland and China.			
06.	Public Opinion- Britain, USA, France, Switzerland and China.			
07.	Socio economic bases of the Constitution- Britain, USA, France, Switzerland and China.			
08.	Decline of Legislature.			

SIXTH SEMESTER

PAPER 6-3(A)	SUBJECT CODE **Pol. Sc.- DSE-3 (A)**	**FOREIGN POLICY OF MAJOR POWERS** COURSE CONTENT	TEACHING HOURS 90 Credit Hours	NO OF CREDIT 05+01
01.	Foreign policy: Meaning and determinants.			
02.	Major Powers: Meaning and determinants.			
03.	Major issues in US foreign policy in Post-Cold war period.			
04.	Major issues in foreign policy of France in Post-Cold war period.			
05.	Major issues in foreign policy of Russia in Post-Cold war period.			
06.	Major issues in foreign policy of China in Post-Cold war period.			

SIXTH SEMESTER.

PAPER 6-3(B)	SUBJECT CODE **Pol. Sc.- DSE-3 (B)**	**POLITICAL PARTY IN INDIA** COURSE CONTENT	TEACHING HOURS 90 Credit Hours	NO OF CREDIT 05+01
01.	Political Party: nature and Types.			
02.	Establishment of the Indian National Congress and development of the Congress System.			
03.	Nature of Party System in post-independent India.			
04.	National Political Parties: Congress and BJP			
05.	Regional political parties of Jharkhand.			
06.	Political parties and electoral process			

SIXTH SEMESTER

R	SUBJECT CODE **Pol. Sc.- DSE-4** **(A)**	**INDIA'S FOREIGN POLICY** COURSE CONTENT	TEACHING HOURS 90 Credit Hours	NO CRE 05-
	Foreign policy: major approaches to the study of India's foreign policy.			
	Principles and objectives of India's foreign policy.			
	Determinants of India's foreign policy.			
	India's policy towards her neighbours: China and Pakistan			
	India's approach towards major global issues: globalization and cross border terrorism.			
	Indian foreign policy with respect to USA and Russia.			

SIXTH SEMESTER

R	SUBJECT CODE **Pol. Sc.- DSE-4** **(B)**	**FEDERALISM IN INDIA** COURSE CONTENT	TEACHING HOURS 90 Credit Hours	NO CRE 05-
	Federalism in India: Evolution and Nature.			
	Centre-state relations with reference to Emergency and Financial Powers			
	Demand of State Autonomy.			
	Sarkaria Commission report: An analysis.			
	Inter-State Councils			
	Regional parties and their impact on federal process.			
	Recent Trends and Prospects.			

(General and Pass Course)

SIXTH SEMESTER

SUBJECT CODE Pol. Sc.- DSE-2(A)	INTERNATIONAL ORGANIZATION COURSE CONTENT	TEACHING HOURS 90 Credit Hours	NO OF CREDIT 06
01.	The nature and evolution of International Organization.		
02.	The United Nations: Nature, Structure and Functions.		
03.	Special Agencies of UN: WHO, IMF, UNESCO and WTO		
04.	The UN and the World Peace.		
05.	Politics of restructuring UNO.		
06.	Regional Organisation: nature and types.		
07.	EU, OPEC and G8		
08.	SAARC, IORARC and ASEAN		

SIXTH SEMESTER

SUBJECT CODE Pol. Sc.- DSE-2 (B)	DEMOCRACY IN INDIA COURSE CONTENT	TEACHING HOURS 90 Credit Hours	NO OF CREDIT 06
01.	Democratic thinking and process in ancient India.		
02.	Democratic thinking in modern India.		
03.	Nature of Indian Democracy.		
04.	Process of Indian Democracy: Party System and Interest Group.		
05.	Indian Democracy at the grass roots level: Democratic Decentralization.		
06.	Parliamentary Vs Presidential Model.		
07.	Role of Women in the Political Process.		
08.	Socio-economic determinants of Indian Democracy: Caste, Language, Region and Religion		

DSC-III (Group B) भारत में राजनीतिक दल
Professor - A.K. Srivastava (Political party in India)
HOD - Political Science, VSS thapit Mahavidyalaya
(Balidih).

(1)

1. राजनीतिक दलों से क्या समझते हैं? इसके आधारभूत तत्वों की विवेचना करें।

→ राजनीतिक दल प्रजातंत्र के सर्वाधिक तत्व है। ये वस्तुतः लोकतंत्र के प्राण है। इनके अध्ययन के बिना प्रजातंत्र का अध्ययन अधूरा समझा जाता है। राजनीतिक दलों के संगठन एवं कार्य-प्रणाली को समझे बिना किसी भी राज्य में प्रजातंत्र के व्यावहारिक ढाँचे या स्वरूप को समझा नहीं जा सकता। इनके बिना सिद्धांतों का एकीकृत प्रकटीकरण, नीति का व्यवस्थित विकास तथा समुचित एवं व्यवस्थित चुनावों का होना संभव नहीं है। ये राष्ट्र के दिमाग को तरोताजा एवं जीवित रखते हैं तथा प्रशासन को क्रमबद्धता प्रदान करते हैं।

राजनीतिक दल – परिभाषा एवं अर्थ

राजनीतिक दलों के अध्ययन के सिलसिले में अनेक अर्थ एवं परिभाषा को जान लेना आवश्यक है। राजनीतिक दल उस संगठित मानव-समूह को कहते हैं जो समान राजनीतिक उद्देश्य रखकर अपने देश का शासन पर शांतिमय एवं वैध तरीकों से आधिपत्य जमाना चाहता है। विद्वानों द्वारा प्रस्तुत इनकी प्रमुख परिभाषाएँ निम्नलिखित हैं:–

एडमंड बर्क (E. Burke) – "राजनीतिक दल उन मनुष्यों का समूह है, जो कुछ सिद्धांतों के आधार पर जिनसे वे सहमत हैं, अपने संयुक्त प्रयत्नों से राष्ट्रीय हित को आगे बढ़ाने के लिए सहमत रहते हैं।"

OPPO A5 2020

(political party is a body of mend united for promoting by their joint endeavours the national interest, upon some particular principle in which they are all agreed.)

गिलक्राइस (Gilchrist) - "राजनीतिक दल ऐसे नागरिकों का संगठित दल है जो समान राजनीतिक विचारों में विश्वास की घोषणा करते हैं तथा जो एक राजनीतिक इकाई के रूप में सरकार पर नियंत्रण का प्रयास करते हैं।"

(A political party may thus be defined as are organised group of citizens who profess to share the same political view and who by acting as a political unit, try control the government.)-

मैक्स वैबर - "राजनीतिक दल स्वेच्छा से बनाया हुआ वह संगठन है जो शासन शक्ति अपने हाथ में लेना चाहता है और उसे हस्तगत करने के लिए वह प्रचार और आंदोलन का सहारा लेता है। शासन-शक्ति अपने हाथ में लेने के पीछे एक उद्देश्य हो सकता है, जो या तो वस्तु-निष्ठ लक्ष्य की प्राप्ति हो या व्यक्तिगत स्वार्थ हो या दोनों हो।"

मैकाइवर (MacIver) - "राजनीतिक दल ऐसे सिद्धांतों एवं नीतियों के समर्थन में संगठित संघ है जिन्हें वह संवैधानिक साधनों से सरकार का आधार बनाने के लिए प्रयत्नशील है।"

उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दल नागरिकों का ऐसा समूह है जो सार्वजनिक प्रश्नों पर समान विचार रखते हैं तथा जो राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करते हुए अपनी नीतियों एवं कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए संवैधानिक तरीकों से शासन यंत्र को हस्तगत करना चाहते हैं।

राजनीतिक दल के आधारभूत तत्व -

राजनीतिक दल की उपर्युक्त परिभाषाओं एवं विवरण से यह निष्कर्ष निकलता है कि इसके आधारभूत तत्व निम्नलिखित हैं-

) सजग नागरिकों की सदस्यता
राष्ट्रीय हित का ध्यान
ज्ञान
प्रवृत्तियाँ
संगठन
आकार
सत्ता
बल प्रयोग
आर्थिक साधन
) शस्त्रास्त्रों पर नियंत्रण
11.) प्रेम और प्रभाव
12.) व्यक्ति आकर्षण
13.) विश्वास

1.) सजग नागरिकों की सदस्यता :- सजग नागरिकों की सदस्यता राजनीतिक दलों का प्रमुख आधारभूत तत्व है। नागरिक ही अपने सिद्धांतों एवं नीतियों के अनुसार शासन संचालन के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों का निर्माण करते हैं। सजग नागरिकों से तात्पर्य उन लोगों से है जो किसी न किसी सिद्धांत में विश्वास रखते हैं, संगठन कायम करने या रखने की इच्छा और क्षमता रखते हैं तथा अपने को संगठित कर शासन - संचालन में भाग लेने की इच्छा रखते हैं।

2.) राष्ट्रीय हित का ध्यान :- राजनीतिक दलों का उद्देश्य राष्ट्रीय हित होना चाहिए। उनके सिद्धांत, नीतियाँ एवं कार्यों द्वारा समस्त राष्ट्र के हित को प्रश्रय मिलना चाहिए। जो राष्ट्रीय हित में व्यापक दृष्टिकोण नहीं अपनाते हैं, उन्हें अपनी लोकप्रियता खो देनी होगी।

3.) ज्ञान :- प्रथम तत्व ज्ञान है। ज्ञान अपने साधारण अर्थ में व्यक्ति को अपने लक्ष्यों को पुनः प्रबंधित करने और मिलाने की योग्यता प्रदान करता है। ज्ञान द्वारा व्यक्ति की अन्य विशेषताओं को इस प्रकार संचालित किया जाता है कि वे शक्ति का साधन बन सकें। व्यक्ति के नेतृत्व का गुण, उसकी इच्छा-शक्ति, उसकी सहन-शक्ति, अपने आप को अभिव्यक्त करने की शक्ति आदि

विभिन्न तत्व शक्ति के महत्वपूर्ण पहलू हैं। इन तत्वों में से किसी भी एक की कमी शक्ति के समस्त रूप को अकार्यकुशल बना सकती है और पूरी तरह नष्ट कर सकती है।

~~4) प्राप्तियाँ :- ज्ञान तत्व का आंतरिक स्रोत है। इसके अतिरिक्त शक्ति का निर्धारण प्रमुख है। साधारण बोलचाल के अंतर्गत इसे ही आर्थिक शक्ति का नाम दिया जा सकता है। प्राप्तियों के अंतर्गत भौतिक सामग्री, स्वामित्व एवं सामाजिक~~

4.) प्राप्तियाँ :- ज्ञान तत्व का आंतरिक स्रोत है। इसके अतिरिक्त शक्ति का निर्धारण करने वाले बाहरी तत्व भी होते हैं, जिनमें प्राप्तियाँ सर्वाधिक प्रमुख हैं। साधारण बोलचाल के अंतर्गत इसे ही आर्थिक शक्ति का नाम दिया जा सकता है। प्राप्तियों के अंतर्गत भौतिक सामग्री, स्वामित्व एवं सामाजिक सामग्री की शक्ति, एक व्यक्ति को समाज में प्राप्त ख्याति और स्तर आदि को सम्मिलित किया जा सकता है। प्राप्तियाँ या संपत्ति शक्ति का एक स्रोत अवश्य है, लेकिन न तो यह एकमात्र स्रोत है और न ही निश्चित रूप से प्रभाव ~~एक स्रोत अवश्य है, लेकिन~~ डालने वाला स्रोत। बिना संपत्ति के भी एक व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के कार्यों को प्रभावित कर सकता है और संपत्ति के होने पर भी आवश्यक नहीं है कि वह दूसरों के कार्यों को प्रभावित कर सकेगा।

5.) संगठन :- संगठन अपने आप में शक्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। कहावत भी है कि 'संगठन ही शक्ति है।' (unity is strength)। विभिन्न प्रतिद्वंद्वितापूर्ण इकाइयां आपस में मिलकर संघ बना लेती हैं, तो उनकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। आधुनिक युग के मजदूर संघ तथा व्यापारिक संघ इसके उदाहरण हैं। शक्ति की दृष्टि से सबसे बड़ा संघ स्पष्टतया राज्य ही है और इसका एक प्रमुख कारण राज्य का सर्वाधिक संगठित स्वरूप ही है।

6.) आकार :- अनेक बार आकार को शक्ति का परिचायक मान लिया जाता है और यह सोचा जाता है कि एक संगठन का जितना बड़ा आकार होगा, उसके द्वारा उतनी ही अधिक शक्ति का परिचय दिया जा सकेगा। आकार के साथ यदि संगठन का मेल हो, तो ऐसा होता भी है, लेकिन सभी परिस्थितियों में ऐसा नहीं होता। अनेक बार ऐसा भी होता है कि उसका बड़ा आकार उसे उलझा दे, उसे असंतुलित बना दे और उसे परिस्थितियों के अनुकूल न रहने दे। इसी कारण अनेक बार कुछ राजनीतिक दलों द्वारा अपने आकार को घटाने के लिए 'शुद्धि आंदोलनों' (purges) का आश्रय लिया जाता है।

7.) सत्ता :- शक्ति की तीसरी महत्वपूर्ण स्रोत सत्ता। जिन तत्वों के कारण शक्ति अधिक शक्तिशाली बनती है। हम उसे सत्ता कहते हैं।

8.) बल प्रयोग :- बल प्रयोग भी शक्ति का एक स्रोत है। बल के प्रयोग द्वारा प्रतिक्रियाओं को रोका जा सकता है।

9.) आर्थिक साधन :- आर्थिक साधन भी शक्ति का एक स्रोत है क्यों कि इसका प्रयोग करे विभिन्न लोगों को अपने प्रभाव में लाया जा सकता है। राजनेता इसके जरिए अशिक्षित जनता का मत खरीद लेते हैं।

10.) शास्त्रास्त्रों पर नियंत्रण :- कोई व्यक्ति किसी दूसरे पर नियंत्रण इसलिए पा लेता है कि उसके पास शस्त्रास्त्र है। जिससे ~~लोक~~ लोग डर जाते हैं।

11.) ~~प्रेप~~ प्रेम और प्रभाव :- शक्ति की अभिव्यक्ति केवल ताकत या प्रत्यक्ष दबाव के माध्यम से ही नहीं होती वरन् प्रेम का प्रभाव के प्रदर्शन से भी होती है। प्रेम और प्रभाव से बड़ी-बड़ी शक्तियों को झुकाया जा सकता है। जैसे- महात्मा गांधी ने अपने प्रेम और प्रभाव से अंग्रेजों को झुका दिया।

12.) व्यक्ति आकर्षण :- कभी-कभी व्यक्ति विशेष का आकर्षण भी शक्ति का स्रोत बन जाता

है जैसे - भारतवासी महात्मा गांधी और सुभाषचंद्र बोस को याद कर न सिर्फ शक्ति अर्जित करते हैं, वरन् अपने को अनुशासि[illegible] भी करते हैं।

13.) विश्वास :- शक्ति का एक अन्य महत्वपूर्ण स्रोत विश्वास है।

शक्ति के स्रोत एवं आधार के रूप में विश्वास का भी पर्याप्त महत्व है। तलवार की शक्ति, अंतिम रूप से विश्वास पर ही आधारित होती है। शक्ति का एक अन्य स्रोत सत्ता होती है। शक्ति की महानता इस बात से निर्धारि[illegible] की जाती है कि वह मानव मस्ति[illegible] पर प्रभाव डालने में कितनी सह[illegible] है। प्रो. मैकाइवर ने शक्ति के इन विभिन्न तत्वों का वर्णन करने के बाद कहा है कि "शक्ति की कार्य-कुशलता उन विभिन्न परिस्थितियों के द्वारा बढ़ती या कम होती रहती है, जिनके अधीन उसे कार्य करना है

DSE III (Group B) भारत में राजनीतिक दल
Professor A.K. Srivastava Political party in India
HOD - Political Science Vishthapit Mahavidyalaya (Balidih)

1

Q. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर निबंध लिखें।

Ans. 1885 में जिस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, स्वतंत्रता के पूर्व राष्ट्रीय कांग्रेस में सभी विचारधारा वाले व्यक्ति सम्मिलित थे और स्वतंत्रता के बाद भी राष्ट्रीय कांग्रेस का वह स्वरूप बना रहा। सन 1948 में महात्मा गाँधी तथा 1950 ई. में सरदार पटेल के देहावसान के बाद कांग्रेस पर पं. नेहरु का एकछत्र नेतृत्व स्थापित हो गया। 1964 में पं. नेहरु के निधन के बाद भी कांग्रेस ही भारत का सबसे प्रमुख दल बना रहा। 1969 में कांग्रेस का दो दलों - सत्ता कांग्रेस और संगठन कांग्रेस में विभाजन हुआ। संगठन कांग्रेस की शक्ति में उत्तरोत्तर कमी होती चली गई। 1978 में पुनः कांग्रेस दो दलों - रेड्डी कांग्रेस और इंदिरा कांग्रेस में विभाजित हो गई। यह विभाजन किन्हीं सिद्धांतों पर आधारित नहीं था। कालांतर में इंदिरा कांग्रेस ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उत्तराधिकारी के रूप में प्रतिष्ठित हुई। 1994 में इंदिरा ने पुनः वैधानिक रूप से 'भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस' नाम को धारण कर लिया।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस: नीति तथा कार्यक्रम :— 1977-79 तथा 1989-90 के अपवाद स्वरूप समय को छोड़कर कांग्रेस 1996 के मध्य तक भारत का शासक दल रहा है, लेकिन 11वीं लोकसभा चुनावों (1996) में कांग्रेस ने सत्ता खो दी और 12वीं लोकसभा के चुनावों में कांग्रेस दल की शक्ति में और कमी हुई। 1998 में अप्रैल

OPPO A5 2020

2004 तक कॉंग्रेस भारत का मुख्य विपक्षी दल था। 14वीं लोकसभा चुनावों के आधार पर कांग्रेस ने लोकसभा के सबसे बड़े दल और कांग्रेस गठबंधन में सबसे बड़े गठबंधन की स्थिति प्राप्त कर सत्ता प्राप्त कर ली। 15वीं लोकसभा चुनाव के बाद (मई 2009) में पुनः डॉ॰ मनमोहन सिंह के नेतृत्व में 'संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन' सरकार का गठन हुआ है।

15वीं लोकसभा के चुनाव और कॉंग्रेस का चुनाव घोषणा-पत्र :- 2009 ई. में चुनावों में कॉंग्रेस ने डॉ॰ मनमोहन सिंह को पुनः अपना उम्मीदवार घोषित किया। घोषणा-पत्र के अनुसार वे एक ईमानदार, बुद्धिमान और ठोस निर्णय लेने वाले प्रधानमंत्री हैं, जिनके नेतृत्व की जान और अनुभव की आज राजनीतिक और आर्थिक चुनौतियों के संदर्भ में पहले से बहुत ज्यादा जरूरत है। यह भी कहा गया है कि कांग्रेस प्रधानमंत्री पद के लिए डॉ॰ मनमोहन सिंह के नाम और 'न्यूक्लीयर डील' पर कोई समझौता नहीं करेगी। 2004-09 के शासनकाल में सबसे प्रमुख उपलब्धियाँ बताई गई। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार सुरक्षा गारंटी योजना, 65,000 करोड़ रु॰ का राष्ट्रीय कृषि ~~माम~~ ऋण माफी कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, सर्वशिक्षा अभियान और मध्याह्न भोजन व्यवस्था, महिला अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक अर्थात समस्त कमजोर वर्गों

के सशक्तिकरण हेतु बनाए गए कानून कार्यक्रम और कार्य देश की सुरक्षा की रक्षा और प्रतिष्ठा में वृद्धि, आणविक समझौता और भारत की नई वैश्विक पहचान आदि। घोषणा-पत्र में इस बात पर बल दिया गया कि 'कांग्रेस एकमात्र पार्टी है जिसके पास अखिल भारतीय दृष्टि है और जिसकी देश भर में मौजूदगी है।'

भविष्य की राह (2009-14) के रूप में घोषणा-पत्र के कुछ अति बिंदु निम्न प्रकार है :

1.) आतंकवाद को बिल्कुल बर्दाश्त न करना, सुनिश्चित करेंगे तथा देश की सुरक्षा को सुदृढ़ करने के सभी संभव प्रयत्न किये जाएँगे।

2.) 2011 तक सभी नागरिकों के लिए 'राष्ट्रीय पहचान-पत्र' देना सुनिश्चित करेंगे।

3.) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार सुरक्षा गारंटी योजना के क्रियान्वयन की सभी कमियाँ दूर की जाएँगी।

4.) ऐसा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनाया जाएगा, जिससे सभी लोगों को 'पर्याप्त भोजन के अधिकार की गारंटी' मिले। इस दृष्टि से गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले प्रत्येक परिवार को कानून प्रति माह 3 रु प्रति किलो की दर से 25 किलो गेहूं या चावल प्राप्त करने की क्षमता प्राप्त होगी।

OPPO A5 2020

5.) देश के सभी नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा गारंटी ।

6.) सबके लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा - उच्च शिक्षा के लिए वजीफा या शिक्षा ऋण।

7.) उच्च शिक्षा - आई • आई • टी, आई • आई • एम आदि संस्थाओं का व्यापक विस्तार ।

8.) अगले पाँच वर्षों तक प्रत्येक ब्लॉक, हर वर्ष एक नए आदर्श विद्यालय की स्थापना ।

9.) शिक्षकों के लिए एक बड़ा प्रशिक्षण कार्यक्रम, स्कूलों की सुविधाओं में सुधार ।

10.) किसानों के लिए - सीमांत किसानों को कम ब्याज दरों पर बैंक, कर्ज, कृषि, विविधीकरण, ग्रामीण उद्योगीकरण, न्यूनतम समर्थन मूल्य और किसानों के दरवाजे पर सरकारी ~~एक~~ खरीद ।

11.) समाज के सभी कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण को और ज्यादा प्रोत्साहन देंगे ।

12.) सुनिश्चित करेंगे कि ग्रामीण महिलाओं को कम से कम आधी आबादी बैंकों से जुड़ें और स्व सहायता समूहों की सदस्य बनें ।

13.) बच्चों की विशेष जरूरतों, खासकर लड़कियों पर ~~अ~~ विशेष ध्यान देंगे । लिंगानुपात सुधारने

OPPO A5 2020

के लिए बालिकाओं को नगद लाभ और विशेष सुविधाएँ।

14. छोटे उद्यमियों और लघु तथा मझले उद्यमों पर विशेष ध्यान देंगे।

15. महँगाई पर नियंत्रण के साथ 'उच्च आर्थिक विकास दर' पर आगे बढ़ना जारी रखेंगे।

16. 1 अप्रैल 2010 से वस्तु और सेवा कर शुरू करेंगे।

17. युवाओं के लिए नए अवसर, न्यायिक विलंब दूर करने के लिए न्यायिक सुधार, बिजली उत्पादन में भारी वृद्धि, विकास में प्रवासी भारतीयों को शामिल करने और सामाजिक आर्थिक बदलाव का संकल्प व्यक्त किया गया है।

18. साम्प्रदायिक सद्भाव, विविधता में एकता को बनाए रखने, सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक वृद्धि की बात कही गई है। काँग्रेस का लक्ष्य है 'समावेशी विकास' (Inclusive Growth) समस्त जनता का विकास।

इन सबके अतिरिक्त लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण हेतु विधेयक पारित करने की बात को दोहराया गया है।

classmate
Date
Page

भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस का संगठनात्मक ढाँचा :- काँग्रेस के संगठन का ढाँचा कम से कम दिखावे में पूर्णरूपेण जनवादी है तथा इसकी इकाईयाँ देश के प्रत्येक क्षेत्र में विस्तृत है। काँग्रेस की सदस्यता दो प्रकार की है- प्रारंभिक और सक्रिय। कम से कम 18 वर्ष की आयु वाला कोई भी व्यक्ति जो काँग्रेस के उद्देश्यों में आस्था रखता है, काँग्रेस का सदस्य बन सकता है, यदि वह किसी अन्य दल का सदस्य न हो। वह व्यक्ति जो दो वर्षों तक लगातार काँग्रेस का प्राथमिक सदस्य रह चुका है तथा जिसकी आयु कम से कम 21 वर्ष है, 100 रुपए का चंदा देकर अथवा 25 प्राथमिक सदस्यों की भर्ती करके काँग्रेस की सक्रिय सदस्यता प्राप्त कर सकता है। काँग्रेस का अध्यक्ष तथा उसकी कार्यकारिणी अखिल भारतीय काँग्रेस समिति के प्रति उत्तरदायी होते हैं जिनके सदस्य प्रांतीय काँग्रेस समितियों द्वारा निर्वाचित होते हैं केंद्रि केंद्रीय कार्यकारिणी समिति काँग्रेस का सर्वोच्च अंग तथा सर्वोच्च नीति निर्धारक नियंता समिति है। दिसम्बर 1998 में किए गए संशोधन के अनुसार अब केंद्रीय मंडल तथा चुनाव समिति में अब 9 सदस्य होंगे। काँग्रेस संसद तथा राज्यों के विधानमंडलों के लिए उम्मीदवार का चयन करती है। युवक काँग्रेस का संसदीय मंडल दल के संसदीय कार्यों का निर्देशन करता है

OPPO A5 2020

तथा इसकी निर्वाचन समिति संसद तथा राज्यों के विधानमंडलों के लिए उम्मीदवार का चयन करती है। युवक कांग्रेस, महिला कांग्रेस और कांग्रेस सेवा दल इसके सम्बद्ध संगठन हैं। मजदूर आंदोलन के क्षेत्र में कांग्रेस के सहयोगी संगठन के रूप में 'इण्टक' (INTUC – Indian National Trade Union Congress) कार्य करती है, जिसकी कुल सदस्यता लगभग 10 लाख है।

दिसंबर 1998 में पार्टी संविधान में संशोधन कर निम्न दो व्यवस्थाएं की गई हैं:

1.) पार्टी पदों में 33 प्रतिशत स्थान महिलाओं के लिए तथा कम से कम 20 प्रतिशत स्थान कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित होंगे।

2.) सभी स्तर की कांग्रेस समितियों का कार्यकाल दो वर्ष से बढ़कर तीन वर्ष कर दिया गया है।

1998 में सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर आसीन हुई तथा 2000 ई. में और 2003 ई. तथा 2006 ई. में वे इस पद पर पुनर्निर्वाचित हुई है। गत तीन वर्षों से राहुल गांधी दल के महासचिव हैं। 15 वीं लोकसभा के चुनावों में राहुल गांधी ने सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका, दल के अध्यक्ष की तुलना में भी अधिक

महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन चुनावों तथा चुनाव परिणामों ने भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस और देश की समस्त राजनीतिक व्यवस्था में राहुल गाँधी के राजनीतिक कद को निश्चित रूप से बढ़ा दिया है। हाल ही के वर्षों में, विशेषतया 1984-2009 ई० के वर्षों में काँग्रेस की काँग्रेस की संस्कृति में भारी परिवर्तन आया है। आज काँग्रेस की संस्कृति काँग्रेस के परंपरागत मूल्यों से अलग हटकर

(3.) भारतीय लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के महत्व का वर्णन करें।

→ आधुनिक युग में दलीय पद्धति प्रजातंत्र के लिए प्राणवायु के समान है। आधुनिक लोकतंत्रीय शासन में राजनीतिक दलों के अग्रलिखित कार्य है—

1.) राजनीतिक चेतना का प्रचार,
2.) राज्य की आर्थिक एवं राजनीतिक समस्याओं का जनता को ज्ञान कराना,
3.) शासन सत्ता को मर्यादित करना,
4.) शासन तंत्र के अधिकार की चेष्टा,
5.) कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में सामंजस्य स्थापित करना,
6.) व्यवस्थापिका के सदस्यों में एकता एवं संगठन,
7.) निर्वाचकों से संपर्क बनाना,
8.) सामाजिक और सांस्कृतिक उत्थान के लिए कार्य करना,
9.) सरकारी कर्मचारी का निर्वाचन,

DSE (II) (Group B) भारत में राजनीतिक दल
Political party in India
Professor - A.K. Srivastava
HOD - Political Science Visthapit Mahavidyalaya (Balidih) 2

10.) जनता को राजनीतिक प्रशिक्षण प्रदान करना,
11.) जनमत का निर्माण करना
12.) चुनावों का संचालन करना,
13.) सरकार तथा वैकल्पिक सरकार निर्माण।

1.) राजनीतिक चेतना का प्रचार :- राजनीतिक दल समय-समय पर सार्वजनिक सभाओं में भाषण देकर रेडियो, टेलीविज़न के माध्यम से प्रसारण करके, पत्र-पत्रिकाओं द्वारा प्रचार करके, राजनीतिक प्रश्नों पर जनता की चेतना जगाने का कार्य करते हैं। चुनाव के समय दल अपने-अपने घोषणा-पत्रों के माध्यम से, अपनी नीतियों के माध्यम से जनता को अपने पक्ष में करने का भरसक प्रयास करते हैं। जनता उन सबके बारे में सोच-समझकर निर्णय करती है कि कौन-सा दल और उसकी नीतियाँ उचित है। लॉवेल (Lowell) राजनीतिक दलों को विचारों के दलाल (Brokers of Ideas) कहता है।

राज्य की आर्थिक एवं राजनीतिक समस्याओं का जनता को ज्ञान कराना :- जनसाधारण के लोग अपने राज्य की आर्थिक एवं राजनीतिक समस्याओं को समझने में असमर्थ होते हैं, इसका कारण यह है कि उन्हें अपने दैनिक जीवन की समस्याओं से छुटकारा नहीं मिलता। या वे इतने परिपक्व विचारों के नहीं होते कि उन्हें समझ सकें या उनके साधन सीमित हों या उनमें इसके प्रति रुचि न हो। राजनीतिक दल जनता को

आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक समस्याओं से अवगत कराते हैं और जनता का ध्यान उन पर लाकर जनता का सहयोग चाहते हैं।

3.) शासन सत्ता को मर्यादित करना :- शासक दल कहीं अपने बहुमत के आधार पर सरकार की शक्तियों और धन का दुरुपयोग न करे, जनता के हितों की उपेक्षा न करे, तानाशाही रवैया प्रयोग न करे, इन सब कारणों से विरोधी राजनीतिक दल सरकार पर अंकुश लगाकर उसे मर्यादा में रखना चाहते हैं, यदि सत्ता दल फिर भी न माने तो विरोधी दल, सत्ता पक्ष के विरुद्ध आंदोलन चलाते हैं, जनमत जगाते हैं, जेलें भरते हैं, सभाएँ करते हैं जिससे सत्तापक्ष दल मर्यादा में रहें।

4.) शासन तंत्र का अधिकार की चेष्टा :- राजनीतिक दल निर्वाचनों में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। दल निर्वाचनों में अपने अधिक से अधिक प्रतिनिधि खड़े करते हैं। प्रतिनिधि अपने योग्यतानुसार चुनावों में प्रचार करते हैं। उनका उद्देश्य चुनाव में जीतकर बहुमत बनाना होता है। बहुमत वाला दल ही सरकार बनाता है, अतः शासन में आकर अपनी नीतियों को क्रियान्वित करना चाहते हैं। इस प्रकार प्रत्येक राजनीतिक दल का मुख्य उद्देश्य शासनतंत्र पर अपना अधिकार करना होता है।

PPO A5 2020

5) कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में सामंजस्य स्थापित करना :- सरकार एक सावयव के समान होती है। इसकी सफलता के लिए व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में सामंजस्य होना बहुत आवश्यक है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में शक्ति विभाजन होने से व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में दो दल अलग - अलग प्रभावी हो सकते हैं लेकिन संसदीय सदस्यी शासन-प्रणाली में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों में एक ही दल प्रभावी होता है, इसलिए दोनों में सामंजस्य होना अनिवार्य है।

6.) व्यवस्थापिका के सदस्यों में एकता एवं संगठन:- राजनीतिक दलों के कारण ही व्यवस्थापिका में सदस्यों के बीच एकता तथा संगठन स्थापित रहता है। व्यवस्थापिका में दल के सचेतक (Whips) होते हैं, जो समय-समय पर अपने सदस्यों को दल की नीतियों के समर्थन के लिए सचेत करते रहते हैं। अपने दल की नीति के विरुद्ध कार्य करने वाले सदस्यों के विरुद्ध ~~कार्य करने वाले सदस्य~~ राजनीतिक अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाती है। इस प्रकार राजनीतिक दल व्यवस्थापिका में अपने सदस्यों के बीच संगठन स्थापित करते हैं।

7.) निर्वाचकों से संपर्क बनाना :- राजनीतिक दल जनता और सरकार के मध्य कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। ये दल जनता की शिकायतों, शासनतंत्र की ज्यादतियों,

लापरवाहियों, भ्रष्टाचारों को सरकार तक पहुँचाते हैं। सरकार का ध्यान आकृष्ट कराकर सरकार का उत्तर जनता तक पहुँचाते है। विरोधी दलों की जागरूकता और लगातार की आलोचना करने से सरकार पथभ्रष्ट नहीं हो पाती है।

8.) सामाजिक और साँस्कृतिक उत्थान के लिए कार्य करना :- राजनीतिक दल समय - समय पर देश में सामाजिक एवं साँस्कृतिक उत्थान के लिए भी कार्य करते हैं। वे सामाजिक कुरीतियों तथा बुराइयों की आलोचना करके तथा देश में राजनीतिक और साँस्कृतिक केंद्रों की स्थापना करके साँस्कृतिक विकास में सहायता करते हैं। भारत में दलों ने हरिजनोद्धार, अस्पृश्यता का अंत, जमींदारी - उन्मूलन, भूमि - वितरण आदि भी सहयोग दिया है।

9.) सरकारी कर्मचारी का निर्वाचन :- राजनीतिक दल योग्य और कुशल व्यक्तियों को प्रशासन में लाने का प्रयास करते हैं। निर्वाचन में चुने हुए व्यक्ति ही सार्वजनिक पदों पर आते हैं जिससे प्रशासन में कुशलता आती है। राष्ट्रीय हितों की पूर्ति में दल सहायता करते हैं। संसदीय प्रजातंत्र में दल के प्रतिनिधि सरकार बनाते हैं व शासन चलाते हैं। अध्यक्षीय प्रणाली में भी दल राष्ट्रपति को प्रशासन में सहायता करते हैं।

6

10.) जनता को राजनीतिक प्रशिक्षण प्रदान करना:- प्रजातंत्र में दल जनता को राजनीतिक प्रशिक्षण प्रदान करते है। वे जनता का ध्यान सार्वजनिक प्रश्नों एवं समस्याओं की ओर आकर्षित करते है। सभा, अधिवेशन, पत्र-पत्रिका, रेडियो, टेलीविजन आदि के द्वारा वे जनता में राजनीतिक जागरण उत्पन्न करते है। राजनीतिक दल संसद में प्रश्न करके, जुलूस, आंदोलन आदि का भी सहारा लेते है जिसमें जनता भी सहयोग करती है।

11.) जनमत का निर्माण करना :- आधुनिक काल में राज्य की समस्याएं बहुत जटिल होती जा रही हैं। जन-साधारण व्यक्ति उन्हें आसानी से नहीं समझ सकता है। राजनीतिक दल ही ऐसे प्रश्नों को जनता तक पहुँचाते है। राष्ट्रीय दृष्टिकोण के पक्ष में जनमत बनाना भी दलों का काम है।

मैकाइवर ने कहा है कि- "राजनीतिक दल वे अभिकरण हैं जिनके माध्यम से सार्वजनिक राय की सार्वजनिक नीति में परिवर्तित किया जाता है।"

.) चुनावों का संचालन करना :- आधुनिक प्रजातंत्र के युग में सार्वभौम वयस्क मताधिकार से मतदाताओं की संख्या बहुत अधिक होती है। ऐसी अवस्था में अकेला व्यक्ति चुनाव लड़ने में असमर्थ होता है क्योंकि धन और कार्यकर्ताओं के अभाव

में वह अपना परिचय अपने निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं तक नहीं पहुँचा सकता है। आज स्वतंत्र या निर्दलीय उम्मीदवार वे ही खड़े होते हैं जिन्हें दल अपना टिकट नहीं देते हैं इसलिए इनकी साख जनता में कम होती है।

डॉ. फाइनर के मतानुसार "राजनीतिक दलों के बिना निर्वाचन या तो नितांत असहाय हो जाएंगे या उनके द्वारा असंभव नीतियों को अपनाकर राजनीतिक यंत्र को ही नष्ट कर दिया जाएगा।"

13.) सरकार तथा वैकल्पिक सरकार निर्माण:- निर्वाचनों में जो दल बहुमत में आता है वह सरकार बनाता है और जो दल अल्पमत में होता है वह विरोधी दल कहलाता है। संसदीय प्रजातंत्र में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होता है और उसका अपना मंत्रीमंडल होता है जबकि विरोधी दल का नेता विपक्ष का नेता और उसका छाया मंत्रिमंडल होता है, जो विकल्प के लिए होता है कि यदि कभी बहुमत दल की सरकार गिरे और उसके कुछ सदस्य विपक्ष की पार्टी से आ मिलें तो विपक्ष बहुमत में आकर सरकार बना सके।

प्रजातंत्र में राजनीतिक दल का महत्व विशेष रहता है। वास्तव में राजनीतिक दल प्रजातंत्र में प्राणवायु के समान है। प्रजातांत्रिक शासन-व्यवस्था का स्वरूप प्रतिनिधिमूलक रहता है। इस प्रतिनिध्यात्मक प्रजातांत्रिक व्यवस्था (Representative Democratic System) में जनता अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन राजनीतिक दलों के अभ्यर्थियों के बीच में ही करती है। संक्षेप में राजनीतिक दलों का प्रजातांत्रिक व्यवस्था में महत्व इस प्रकार समझा जा सकता है-

1.) प्रजातांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों का निर्वाचन-प्रक्रिया में महत्वपूर्ण स्थान है। यह जनता तथा सरकार के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी है। अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन द्वारा तथा प्रतिनिधियों के माध्यम से ही जनता द्वारा शासन-कार्य-संचालन करने का दायित्व सौंपा जाता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया में राजनीतिक दलों का होना अनिवार्य हो जाता है।

2.) प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जनमत का निर्माण करने में राजनीतिक दल ही सहायक होते हैं। जनमत की अभिव्यक्ति शासन को जनता की मर्जी के प्रति सचेत करके उसे इसके प्रति उत्तरदायी बनाती रहती है।

3.) प्रजातांत्रिक व्यवस्था में केवल सत्तारूढ़ दल का ही महत्व नहीं है बल्कि विरोधी दल का रहना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जनता के समक्ष सत्तारूढ़ दल का विकल्प भी विरोधी दल के रहने के कारण सामने रहता है। सत्तारूढ़ दल की असफलता की स्थिति में

जनता आगामी निर्वाचन में विरोधी दल को सत्ता सौंप दे सकती है। इस कारण विरोधी दलों के रहने से सत्तारूढ़ दल भी नियंत्रित, मर्यादित और उत्तरदायी बना रहता है।

4.) राजनीतिक दल जनता में राजनीतिक चेतना बनाए रखने और उन्हें राजनीतिक प्रशिक्षण देने का महत्वपूर्ण कार्य भी करते रहते है।

भारत के राजनीतिक दलों की विशेषताएँ

प्रजातांत्रिक दलों की ही भाँति भारत में भी संविधान द्वारा राजनीतिक दलों को तो कोई मान्यता नहीं दी गई है, किंतु संविधान में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत विचार की स्वतंत्र अभिव्यक्ति और संस्था बनाने का जो अधिकार है उसी के अंतर्गत राजनीतिक दलों का गठन किया जाता है। संविधान में भले ही औपचारिक रूप से राजनीतिक दलों को मान्यता नहीं दी गई हो पर व्यवहारिक दृष्टि से भारत की राजनीति में राजनीतिक दल सक्रिय बने रहे है। इस संबंध में निम्न तथ्य भी महत्वपूर्ण है—

.) भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही अनेक राजनीतिक दल सक्रिय थे। किंतु 1985 ई. में दल-बदल विरोधी कानून द्वारा ही संवैधानिक दृष्टि से उन्हें मान्यता दी गई है।

ii) 1968 ई. में निर्वाचन आयोग ने चुनाव-चिह्न का आवंटन करने हेतु विभिन्न राजनीतिक दलों का उल्लेख किया था और उन शर्तों का भी उल्लेख किया था जिस आधार पर आयोग किसी राजनीतिक दल को मान्यता प्रदान करेगा।

भारतीय राजनीति में व्यवस्था के ये अनेक राजनीतिक दल सक्रिय रहे हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा इन दलों के चुनाव चिह्न आवंटित किए जाते हैं, इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी रूप में संवैधानिक और कानूनी व्यवस्था के ये अंग नहीं रहे हैं। 1985 ई. के दल-बदल निषेध कानून के पारित होने के साथ ही राजनीतिक दलों को वैधानिक मान्यता प्राप्त हो गई। संविधान, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता तथा लोकतंत्र के प्रति अपनी निष्ठा घोषित करना अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही यह व्यवस्था की गई है कि जो भी राजनीतिक दल 15 जून 1989 ई. के बाद अस्तित्व में रहेंगे, उन्हें 14 अगस्त 1989 ई. के पूर्व 'पंजीकृत' (Registered) होना आवश्यक है। फिलहाल 9 राष्ट्रीय दल, 38 राज्यस्तरीय दल और अनेक अमान्यता प्राप्त दल हैं।

9 राष्ट्रीय दलों में से वास्तव में 6 दल ही राष्ट्रीय स्तर के दल हैं - भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, मार्क्सवादी दल, भारतीय साम्यवादी दल शेष नाममात्र के राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियाँ हैं।

DSE III (Group B) भारत में राजनीतिक दल Political party in India
Professor - A. K. Srivastava Vishwajit Mahavidyalaya 1
HOD - Political Science (Ballia)

(4) दल - बदल पर टिप्पणी लिखें।
→ दल - बदल और उसका विकास
(Defection and its Development).

'चव्हाण समिति' ने दल - बदल को परिभाषित करते हुए लिखा है - "यदि कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक दल के सुरक्षित चुनाव चिन्ह पर संसद के किसी सदन या किसी राज्य या संघीय क्षेत्र की विधानसभा या विधान - परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के बाद स्वेच्छा से उस राजनीतिक दल के प्रति अपनी निष्ठा का परित्याग करता है अथवा उस राजनीतिक दल से संबंध - विच्छेद करता है और उसका यह कार्य उसके दल के किसी सामूहिक निर्णय का परिणाम नहीं है, तो यह माना जा सकता है कि उसने दल - बदल किया है।"

चौथे आम चुनाव के बाद कई राज्यों में किसी दल विशेष को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ अतः संयुक्त विधायक दल की सरकारें बनी। विधायकों को इससे व्यक्तिगत रूप में अवसर मिला कि वे उस मोर्चे या दल में सम्मिलित हों जिसमें उन्हें मंत्री - पद अन्य कोई लाभ की जगह मिलने की आशा हो। हर दल इस स्पर्धा में लग गया कि वह अन्य दल के विधायकों को अधिकाधिक संख्या में तोड़कर अपना बहुमत प्रदर्शित करे और सरकार बनाए। इससे दल - बदल और प्रति दल - बदल दोनों ही शीघ्रता से हुए।

दल-बदल की प्रवृत्ति धीरे-धीरे बढ़ती ही गई। सन् 1957-67 के दशक में 542 दल-बदल की घटनाएँ हुईं। 1967 में 438 सदस्यों ने दल-बदल किया। 1967-73 की अवधि में 2,700 विधायकों ने विभिन्न स्वार्थों से दल-बदल किया। इनमें से 15 मुख्यमंत्री बने, तथा 212 को मंत्रीपद प्राप्त हुए। संपूर्ण देश में दल-बदलुओं की संख्या 4,000 हो गई।

व्यापक दल-बदल के कारण छः राज्यों में सरकार बिगड़ा और बना, छः राज्यों में राष्ट्रपति शासन घोषित करना पड़ा और चार राज्यों में विधानसभाएँ भंग कर पुनः चुनाव कराए गए। सबसे अधिक दल-बदल बिहार में हुआ, जहाँ 84 विधायकों ने दल-बदले। मध्य प्रदेश में 66 विधायकों ने दल बदले और उत्तर-प्रदेश में 63 ने।

दल-बदल के कारण
(Causes of Defection)

दल-बदल के प्रमुख कारण अग्र प्रकार थे —

1.) प्रथम, काँग्रेस की आंतरिक गुटबंदी रही। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा बिहार में उच्च काँग्रेस नेता अपने अनुयायियों को लेकर दल से चले गए।

2.) दल-बदल का दूसरा मुख्य कारण धन तथा सत्ता का लालच था। प्रायः विधायकों को अपने

दल में फूट के लिए रिश्वत दी गई, मंत्रिपद या अन्य लाभ के पद का लालच दिया गया तथा प्रकार से पुरस्कृत करने का काम दिया गया।

3.) दल-बदल की वेलूसी को जन्म देने में कॉंग्रेस का भी योगदान है। 1963 के चुनाव के बाद जब राज्य विधान सभाओं में कॉंग्रेस की शक्ति कम हो गई तो कॉंग्रेस के संसदीय बोर्ड ने 27 फरवरी, 1967 को एक निर्णय लिया है जिसके अनुसार कॉंग्रेस किसी भी राज्य में सूझे-मंत्रिमंडलों में सम्मिलित नहीं हो सकती थी। इसी निर्णय से निर्दलीय विधायकों को कॉंग्रेस में सम्मिलित होने का आह्वान किया गया। कॉंग्रेस का आशय स्पष्ट था कि वे कॉंग्रेस में सम्मिलित होने का निश्चय करें और पुरस्कार स्वरूप सत्ता में भाग लें। इससे प्रेरणा लेकर विरोधी दलों ने भी सत्ता प्राप्त करने के लिए सही मार्ग अपनाया।

4.) दल-बदल करने वालों में कुछ ऐसे भी लोग थे जो सत्ता या धन के लालच से नहीं, बल्कि वैचारिक मतभेद के कारण अपने दल से अलग हुए थे और उनका यह कदम अनुचित नहीं कहा जा सकता था।

5.) जब उत्तर-प्रदेश में मध्यावधि चुनाव हुए तो दल-बदलुओं द्वारा निर्मित भारतीय क्रांति दल को भारी बहुमत प्राप्त हुआ।

मध्यावधि चुनाव में दल-बदल विधायकों को सभी राज्यों में कुल कितने मत मिले उतने सभी विरोधी दलों को सम्मिलित रूप से भी नहीं मिले थे।

6. 1977 में विपक्षी दलों के मिलन द्वारा जनता पार्टी का जन्म हुआ और कांग्रेस की शक्ति क्षीण हुई। वह सत्तारूढ़ दल से विरोधी दल बन गई। जुलाई 1979 में जनता पार्टी में दल-बदल का क्रम चला तो जनता सरकार के प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई को त्याग-पत्र देना पड़ा, केंद्र में कोई भी दल बहुमत में नहीं रह गया। राष्ट्रपति को संसद भंग करके नए चुनाव का आदेश देना पड़ा। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल तो पूरे मंत्रिमंडल के साथ ही जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस

6. राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस का वर्णन करें।

→ भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस (Indian National Congress):

भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस देश का सबसे पुराना और सशक्त राजनीतिक दल है जिसकी स्थापना सेवा-निवृत्त अंग्रेज अधिकारी श्री ए. ओ. ह्यूम के प्रयासों के परिणाम स्वरूप सन् 1885 में बंबई में हुई। भारत में इस दल का मुख्य उद्देश्य संवैधानिक सुधारों तथा देश के सम्मुख विभिन्न समस्याओं पर जनमत तैयार करने तक सीमित था। ऐसा करते हुए

DSE III (Group B) भारत में राजनीतिक दल (Political party in India)

Professor - A.K. Srivastava
HOD - Political Science, Visthapit Mahavidyalaya (Balidih)

कॉंग्रेस ने अपनी स्थापना के प्रारंभिक वर्षों में देश की सामाजिक और आर्थिक समस्याओं पर विचार करने के लिए एक मंच प्रदान किया। परंतु सन् 1929 के अपने लाहौर अधिवेशन में इसने पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति से अपना लक्ष्य घोषित किया, जिसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय आंदोलन का जन्म हुआ। राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व कॉंग्रेस के ही हाथों में रहा। कॉंग्रेस के अनेक नेताओं के अ कुशल नेतृत्व में लड़े गए स्वतंत्रता संग्राम के परिणामस्वरूप 15 अगस्त, सन् 1947 को भारतवासियों ने परतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त होकर स्वतंत्रता के वातावरण में साँस ली।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी देश का राजनीतिक नेतृत्व इसी दल के हाथों में बना रहा। सन् 1967 के सामान्य निर्वाचन से पूर्व तक केंद्र तथा अधिकांश राज्यों में कॉंग्रेस का ही शासन रहा। परंतु सन् 1967 के सामान्य निर्वाचन में पहली बार कॉंग्रेस को कई राज्यों में पराजय का सामना करना पड़ा। क्योंकि केंद्र में सत्तारूढ़ होने के साथ ही साथ तमिलनाडु, पश्चिमी बंगाल, केरल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा व पंजाब, 9 राज्यों में कॉंग्रेस की सरकारें नहीं बन सकीं। कॉंग्रेस की इस पराजय के लिए आंतरिक गुटबंदी प्रमुख रूप में उत्तरदायी थी।

कॉंग्रेस का विभाजन

कॉंग्रेस की आंतरिक गुटबंदी ने धीरे धीरे विकसित होकर ऐसा विकराल रु धारण कर लिया जो सन् 1969 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. जाकिर हुसैन मृत्यु के पश्चात् राष्ट्रपति के निर्वाचन के प्रश्न पर स्पष्ट हो गया। कॉंग्रेस द श्रीमति इंदिरा गाँधी की इच्छा के विरुद्ध श्री नीलम संजीव रेड्डी को राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी घोषित किया गया। प श्रीमति इंदिरा गाँधी ने श्री रेड्डी का वि करते हुए श्री वी गिरि को अपना समर्थ प्रदान किया, जिसके परिणामस्वरूप कॉंग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी श्री रेड्डी पराजित हुए और श्री गिरि राष्ट्रपति प के लिए निर्वाचित हुए। उन दिनों कॉंग्रे की कार्यकारिणी समिति पर श्रीमति इं गाँधी की विभिन्न प्रकार से आलोचन करते हुए कॉंग्रेस अध्यक्ष श्री निजलिंग ने 12 नवंबर सन् 1969 को श्रीमति इं गाँधी, श्री जगजीवनराम तथा फखरुद् अली अहमद आदि को कॉंग्रेस के अध्यक्ष पद से इसकी प्रतिक्रिया स्वरू श्रीमति इंदिरा गाँधी ने श्री निजलिंगप्पा को कॉंग्रेस के अध्यक्ष पद से हटाकर जगजीवन राम को कॉंग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित कर दिया। इस प्रकार कॉंग्रे का दो भागों में विभाजित हो गई। प्रधा मंत्री श्रीमति इंदिरा गांधी की समर्थक नई कॉंग्रेस को 'सत्ता' कॉंग्रेस या 'इण्डी कॉंग्रेस' तथा पुरानी कॉंग्रेस को 'संगठ

कॉंग्रेस' या 'सिंडीकेट कॉंग्रेस' के नाम से संबोधित किया गया।

सन् 1980 के लोकसभा निर्वाचन और कॉंग्रेस

इसी बीच पारस्परिक मतभेदों के कारण जनता सरकार के पतन परिणाम स्वरूप जनवरी सन् 1980 में लोकसभा - निर्वाचन हुए जिसमें कॉंग्रेस (अर्स) को केवल 13 स्थान ही प्राप्त हुए, जबकि कॉंग्रेस ने 525 स्थानों में से 331 स्थान प्राप्त किए। इसके अतिरिक्त मई सन् 1980 में जो हुए 9 राज्य विधान सभाओं के निर्वाचन में आठ राज्यों में कांग्रेस की सरकारें बनी। इस प्रकार कॉंग्रेस ने सन् 1980 के लोकसभा निर्वाचन में लोकसभा में 2/3 स्पष्ट बहुमत प्राप्त करके अधिकांश राज्यों में अपनी सरकारें बनाकर एक बार पुनः केंद्र तथा राज्यों के शासन पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया तथा स्वयं को ही वास्तविक भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस के रूप में प्रतिष्ठित कर लिया। इसी आधार पर सन् 1981 में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने भी कॉंग्रेस को ही भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस की मान्यता प्रदान कर दी।

OPPO A5 2020

श्रीमति इंदिरा गाँधी की हत्या और काँग्रेस

31 अक्टूबर सन् 1984 को श्रीमति इंदिरा गाँधी के अंगरक्षकों द्वारा ही उनकी नृशंस हत्या कर दिए जाने के कारण काँग्रेस को भारी धक्का लगा, और ऐसा प्रतीत होने लगा। काँग्रेस अब अपनी एकता और प्रभुत्व को खो देगी। परंतु तत्का परिस्थितियों में श्री राजीव गाँधी को काँग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया तथा उनके नेतृत्व में सन् 1984 को 18वीं लोकसभा के निर्वाचन में काँग्रेस ने 503 स्थानों में से 40 स्थान प्राप्त करके अभूतपूर्व सफल प्राप्त की। अन्य सभी विरोधी दलों को भारी पराजय का मुँह देखना पड़ा। लेकिन सन् 198 में नवीं लोकसभा के निर्वाचन में पुनः काँग्रेस की पराजय हुई उसे केवल 193 स्थान ही प्राप्त हुए।

OPPO A5 2020